उत्तर प्रदेश शासन
रेशम विकास अनुभाग-1
संख्या-31/2016/1356/74-1-2016-05(अधि0)/2016
लखनऊ दिनांक 01 दिसम्बर, 2016
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 एवं दिनांक 03 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार रेशम निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत/सेवानिवृत्त समूह क एवं ख के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किए जाने की एतदद्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	नाम/पदनाम	संस्तुति
1	श्री टी0वी0एल0एन0 सार्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी	तृतीय ए0सी0पी0 दिनांक 25-11-2014 से 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 8700/-
2	श्री ए0के0 सिंह, उप निदेशक (तत्कालीन सहायक निदेशक)	तृतीय ए0सी0पी0 दिनांक 25-11-2014 से 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 8700/-
3	श्री अरविन्द कुमार, उप निदेशक (तत्कालीन सहायक निदेशक)	द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक 05-07-2013 से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 7600/-
4	श्री जी0पी0 चतुर्वेदी, सहायक निदेशक, रेशम, सेवानिवृत्त 31-07-2012	द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक 01-12-2008 से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 7600/-
5	श्री आर0एल0 मौर्या, सहायक निदेशक	द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक 17-08-2016 से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 7600/-
6	डा0 एस0बी0 सिंह, सहायक निदेशक	द्वितीय ए0सी0पी0 दिनांक 16-10-2016 से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 7600/-
7	श्री राज किशोर कटियार, सहायक निदेशक, रेशम सेवानिवृत्त 29-02-2016	तृतीय ए0सी0पी0 दिनांक 01-01-2011 से 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड पे रू0 6600/-

2- अत: वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आंगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाय तथा उनके भुगतान के पूर्व सम्बन्धित कार्मिकों से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग संलग्न प्रारूप पर आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रूटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आंगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेगें।

हरिशंकर भट्ट
उप सचिव।

संख्या-31/2016/1356(1)/74-1-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी,जवाहरभवन/कोषाधिकारी जनपद बहराइच, फतेहपुर,सोनभद्र,मेरठ,लखीमपुर-खीरी कानपुर नगर।
(4) सम्बन्धित अधिकारीगण।
(5) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(6) सेवा पुस्तिका में एक प्रति रखने हेतु।
(7) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,
(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in